

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ संकल्प ॥

विषय:—केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 170,86,22,260/— (एक सौ सत्तर करोड़ छियासी लाख बाईस हजार दो सौ साठ रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना की समाप्ति के पश्चात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के नगर निकायों में जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुनर्चक्रण, पेय जलापूर्ति एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण का कार्यान्वयन एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात् पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि किया जाना है तथा इसके साथ ही राज्य के पुराने अमृत शहर में सिवरेज/सेप्टेज कनेक्शन सुलभ किया जाना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा परियोजना निधि में कुल रूपये 26,20,00,00,000/—(छब्बीस सौ बीस करोड़ मात्र) की राशि आवंटित किया जाना है, जिससे राज्य के शहरी स्थानीय निकायों का परियोजना आधारित वित्त पोषण किया जाना है तथा केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

2. जलापूर्ति जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुनर्चक्रण एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण, पार्क विकास राज्य के सभी नगर निकायों में जबकि सिवरेज एवं सेप्टेज पुराने 27 अमृत शहरों में कार्यान्वित की जायेगी। पूर्व में कार्यान्वित की जा रही अमृत योजना, पूर्व निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार वित्त पोषित होता रहेगा।

3. योजना के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय समिति होगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्स कमिटी, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमिटी-एस0एच0पी0एस0सी0) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (स्टेट लेवल टेक्नीकल कमिटी-एस0एल0टी0सी0) के गठन किये जाने का प्रावधान है।

4. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति/सिवरेज/पार्क/जल स्रोतों के जीर्णोद्धार हेतु रु० 8481.138 करोड़ (आठ हजार चार सौ ईक्यासी करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार रु० मात्र) के अनुमानित मुल्य पर सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार किया गया था। पुनः 17 परियोजनाओं को निरस्त करने, सीवरेज से संबंधित 02 परियोजनाओं को सम्मिलित कर 01 परियोजना बनाना एवं 16 नई परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु तैयार किये गये सिटी वाटर एक्शन प्लान का प्रस्ताव राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (एस०एच०पी०एस०सी०) के समक्ष रखा गया, जिसपर समीक्षोपरांत एस०एच०पी०एस०सी० द्वारा दिनांक-11.09.2025 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरांत एपेक्स समिति द्वारा दिनांक-08.12.2025 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार अमृत 2.0 अंतर्गत कुल स्वीकृत 62 परियोजनाओं हेतु कुल राशि रु० 8167.78 करोड़ है, जिसमें केन्द्रांश रु० 2604.86 करोड़ एवं राज्यांश (राज्यांश+निकायांश) रु० 5562.92 करोड़ शामिल है।

5. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) योजनान्तर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना की विवरणी निम्नवत है:-

क्र० सं०	परियोजना का नाम एवं विवरणी	प्राक्कलित राशि	(राशि करोड़ रु०) SLTC द्वारा अनुमोदित राशि
01	खगड़िया जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 19,436 गृह जल संयोजन हेतु 38.56 MLD का Intake well, 38.5 MLD का WTP, 06 जलमीनार, 06 जलमीनार कैम्पस, 13.200 कि०मी० राइजिंग मेन एवं 211.22 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क का कार्य।	रु० 170.8622260	रु० 170.8622260 केन्द्रांश-56.1461575 राज्यांश-114.7160685
कुल राशि		रु० 170.8622260	रु० 170.8622260

(एक सौ सत्तर करोड़ छियासी लाख बाईस हजार दो सौ साठ रु०)

6. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय सीमा:- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के अंतर्गत उक्त परियोजना का कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी बुडको होगा। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) को वर्ष 2026-27 तक क्रियान्वित किया जाना है। केन्द्र प्रायोजित अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत परियोजना मद से राशि का व्यय किया जायेगा। खगड़िया नगर परिषद् की आबादी के अनुरूप अमृत-2.0 योजना में परियोजना लागत का एक तिहाई राशि भारत सरकार द्वारा जबकि दो तिहाई राज्य सरकार को वहन करना होगा।

परियोजना में कुल राशि 170,86,22,260/— (एक सौ सत्तर करोड़ छियासी लाख बाईस हजार दो सौ साठ रू०) का व्यय संभावित है।

राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:—

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	परियोजना की राशि (राशि करोड़ में)	वित्तीय वर्ष में कुल राशि (राशि करोड़ में)
01	2026—27	170.8622260	170.8622260
कुल राशि		170.8622260	170.8622260

7. अतः केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 170,86,22,260/— (एक सौ सत्तर करोड़ छियासी लाख बाईस हजार दो सौ साठ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

8. उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक—15.07.2026 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या—07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी),
सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:—14/AMRUT-01-17/2026 न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक—

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना (सी०डी० संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

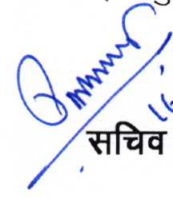
उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाये।

ह०/—

सचिव।

ज्ञापांक:-14/AMRUT-01-17/2026 2703 न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक- 16/07/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/ निदेशक, AMRUT, भारत सरकार/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमण्डल, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत/विभागीय आईटी प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी को ई-मेल करने/टीम लीडर, PDMC-AMRUT 2.0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.07.26
सचिव।